न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बनेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज.)

राजस्व लोक अदालत तहसील बनेड़ा

प्रकरण संख्या : 103/2012 राजस्व वाद

अन्तर्गत धारा 183 आर0टी0ए0

वास्ते :– तहसीलदार बनेड़ा

विषय:– परिवाद अन्तर्गत धारा 183 आरटीए

**उनवान**

1. रामप्रसाद पिता चोखा कुमावत निवासी उदलपुर तहसील आसीन्द जिला भीलवाडा
2. भगवती लाल पिता चोखा कुमावत निवासी उदलपुर तहसील आसीन्द जिला भीलवाडा
3. लहरी पुत्री चोखा कुमावत निवासी उदलपुर तहसील आसीन्द जिला भीलवाडा
4. उच्छवा पुत्री चोखा कुमावत निवासी उदलपुर तहसील आसीन्द जिला भीलवाडा
5. अणछी पत्नि चोखा कुमावत निवासी उदलपुर तहसील आसीन्द जिला भीलवाडा

**——वादीगण**

**बनाम**

1. बन्नालाल पिता दोला कुमावत निवासी उदलपुर तहसील आसीन्द जिला भीलवाडा
2. हरदेव पिता माधु कुमावत निवासी उदलपुर तहसील आसीन्द जिला भीलवाडा
3. राजस्थान राज्य सरकार जरिये तहसीलदार बनेडा जिला भीलवाडा

**——विपक्षीगण**

## –:: निर्णय ::–

दिनांक 16.06.2016

1. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण ने दिनांक 24.08.2012 को एक वाद विरूद्ध प्रतिवादीगणसंख्या–1 व 2 के इस आशय का प्रस्तुत किया कि वाके ग्राम नयाखेडा प0हल्का रूपाहेलीखुर्द में वादीगण के नाम पर खाता संख्या 49 के आ. सं. 1721, 1722, किता 02 रकबा 02–15 बीघा भूमि दर्ज रेकार्ड है। जिसकी वादीगण द्वारा उपखण्ड अधिकारी से विधिक आदेश लेकर दिनांक 16.05. 2012 को भू अभिलेख निरीक्षक से पत्थरगढ़ी कराई गई तथा उक्त पत्थरगढ़ी में पाया गया कि प्रतिवादीगण का वादीगण की आराजीयात 1721 रकबा 0–03 बीघा व आराजी संख्या 1722 रकबा 01–10 बीघा कुल किता 02 रकबा 0–13 बीघा उक्त आराजीयात के विशिष्ट भु–भाग पर वर्तमान में प्रतिवादी बन्नालाल पिता दोला कुमावत निवासी उदलपुर तहसील आसीन्द, हरदेव पिता माधु कुमावत

व 2 वादीगण की भूमि के पास है एवं एक ही मेर पाली है इस बाबत रोज सीमा सम्बन्धि विवाद होता रहता है। इससे परेशान होकर वादीगण ने प्रतिवादीगण को

निवासी उदलपुर तहसील आसीन्द का अवैध कब्जा है। जिसका कब्जा सिपुर्द करने से प्रतिवादीगण इंकार कर दिया है। अतः वादीगण को कब्जा सिपुर्द किया जावें।

2. प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को नोटिस जारी किए गए। प्रतिवादीगण को बावजूद सूचना निममित पैशीयों पर अनुपस्थित पाया गया। इसी दौरान राजस्व लोक अदालत –2016/केम्प कोर्ट का आयोजन नियत होने से उक्त प्रकरण में सभी पक्षों को सूचना पत्र जारी कर केम्प कोर्ट आमा में तलब किया गया। केम्प कोर्ट आमा में वकील वादी उपस्थित तथा पक्षकारान प्रतिवादीगण बावजूद सूचना केम्प में अनुपस्थित रहे। प्रकरण में तहसीलदार बनेडा, भु0अ0निरीक्षक रायला से नवीनतम रिपोर्ट प्राप्त होकर शामिल मिसल है।

3. वकील वादी को सुना गया। प्रतिवादीगण ने वादीगण की भूमि की पत्थरगढ़ी उनकी मौजूदगी में कराई जाने की स्थिति में वादी के हक एंव खाते की भूमि पर यदि किसी प्रकार का कोई अतिक्मण होना पाया गया तो उस भू भाग से अपना अतिक्रमण हटा कर वादीगण को कब्जा स्वंय के खर्चे पर सिपुर्द किये जाने माफिक डिक्री किये जाने योग्य है।

## आदेश

अतः वादीगण का वाद अन्तर्गत धारा 183, राज. काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस प्रकार फैसल किया जाता है कि वाके ग्राम नयाखेडा पटवार मण्डल रूपाहेलीखुर्द में स्थित वादीगण की खातेदारी आराजी संख्या 1721, 1722 किता 02 रकबा 02–15 बीघा भूमि को मौके पर पुख्ता सीमा चिन्हों से नपती की जावें तथा नपती उपरान्त यदि वादीगण के हक एवं हिस्से की भूमि पर प्रतिवादीगण का कोई अनाधिकृत अतिक्रमण पाया जावें तो उक्त अतिक्रमित भूमि का कब्जा प्रतिवादीगण से उनके स्वंय के खर्चे पर वादीगण को सिपुर्द किया जावें। प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुए खर्चा फरिकेन अपना अपना वहन करें। आदेश की पालनार्थ तहसीलदार बनेडा को कमीश्नर नियुक्त किया जाकर निर्देशित किया जाता है कि मौके पर नपती के सम्बंध में पक्षकारान को न्युनतम 3 दिन पूर्व सूचित कर पुख्ता सीमा चिन्हों से नपती की जावें। यदि वादीगण के हक एवं हिस्से की भूमि का प्रतिवादीगण का कोई अनाधिकृत कब्जा पाया जावें तो उक्त भू भाग से प्रतिवादीगण को बैदखल किया जाकर मौके पर कब्जा वादीगण को सिपुर्द किया जावें। उक्तानुसार डिक्री पर्चा तरतीब किया जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय दिनांक 16.06.2016 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(संजय माथुर)
उपखण्ड अधिकारी, बनेडा
जिला भीलवाड़ा